कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

सर्व साधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि शासनादेश संख्या–1360/15–7–2017–1 (33)/2011 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनाँक–04 सितम्बर,2017 के द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में आयी भीषण बाढ़ के कारण (परीक्षा वर्ष 2018) के हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क जमा करने एवं उनके आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि में वृद्धि करते हुए निम्नवत समय सारिणी निर्धारित की जाती है :–

संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं हेतु	निर्धारित अन्तिम तिथि
1– संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा–10 एवं 12 के छात्र/छात्राओं से परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	08 सितम्बर,,2017 तक
2– संस्था के प्रधान द्वारा समस्त अर्ह छात्र/छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	13 सितम्बर,2017 तक
3– संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किये गये परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	23 सितम्बर,,2017 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4– 08 सितम्बर,,2017 के पश्चात प्रति छात्र रुपया 100/– (एक सौ मात्र) विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	03 अक्टूबर,2017 तक
5– विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	09 अक्टूबर,2017 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
6– वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली–भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर,2017 तक
7– ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेगें।	16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर,2017 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)

(शिव लाल)
अपर सचिव (प्रशासन)

5/9/17

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 409 (1-9) दिनांक: 05 सितम्बर,2017

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– अनु सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

4 अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

7– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ / बरेली / इलाहाबाद / वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

8– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति / स्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।

(शिव लाल)
अपर सचिव (प्रशासन)

5/9/17